प्रतिलिपि आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, समाज कल्याण विभाग क्रमांक 4885 स०क०-1-71/ 18166-200 दिनांक 25 अक्तूबर, 1971 को हरियाणा के सभी विभागाध्यक्षों आयुक्त अम्बाला मण्डल, सभी उपायुक्त तथा मण्डल अधिकारी को सम्बोधित है ।

विषय :--अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के उन उम्मीदवारों को सेवा में रखे रहने के बारे में जो तदर्थ आधार पर नियुक्त है ।

संदर्भ उपर्युक्त विषय पर ।

2. सरकार को कुछ आवदन-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें यह मांग की गई थी कि अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के उन उम्मीदवारों को लोक सेवा आयोग/अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल की परीक्षा/साक्षात्कार पास किए बिना नियमित कर दिया जाए जोकि तदर्थ आधार पर नियुक्त किए हुए हैं । इस बारे में सरकार ने यह निर्णय लिया हैं कि किसी तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को नियमित रुप से लगाने के लिए लोक सेवा आयोग/अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल की परीक्षा साक्षात्कार से छूट नहीं दी जा सकती है तथा नियमित नियुक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह योग्यताएं आदि पूरी करता हो और लोक सेवा आयोग/अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल द्वारा सलैक्ट किया जाए ।

3. सरकार की हिदायतों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 22 प्रतिशत [पद] आरक्षित हैं। नियमित रूप से इन आरक्षित पदों को न भरे जाने के बारे में जो कठिनाईयां कई विभागों में पेश आ [रह]ी है उनको देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जो पद अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए [आ]रक्षित है उन्हें नीचे लिखे आर्डर से भरा जाए :—

1. अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के उन उम्मीदवारों द्वारा जिनके बारे में लोक सेवा आयोग/अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल सिफारिश करें।

2. अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के उन उम्मीदवारों द्वारा जो पहले तदर्थ आधार पर लगे हुए हैं।

3. अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के नए उम्मीदवारों को तदर्थ रूप से लगा लिया जाए।

4. यदि अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार तदर्थ नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हो तो फिर अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग से सम्बन्ध न रखने वाले उम्मीदवारों को तदर्थ रुप से लगा लिया जाए। इससे स्पष्ट है कि आरक्षित पदों को नियमित रूप से भरने के समय आयोग/बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को लगाया जाए और यदि आयोग/बोर्ड/द्वारा सिफारिश किए गए उपरोक्त जाति के उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो तदर्थ रुप से भी यह रिक्तियां उपरोक्त जाति के लगे हुए या नए उम्मीदवारों द्वारा ही भरी जाए और केवल उस स्थिति में जब उपरोक्त जाति के उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो ही दूसरी जाति के उम्मीदवार तदर्थ रूप से लगाए जा सकते हैं।

5. यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के जो उम्मीदवार तदर्थ आधार पर नियुक्त हैं और वे निर्धारित योग्यताओं को पूरी नहीं करते तो उनको किसी प्रकार की प्रोटैक्शन नहीं दी जाएगी और उनको तुरन्त नौकरी से निकालकर एसे अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाए जो की निर्धारित योग्यताओं को पूरी करते हों।

6. कृपया इस पत्र की पावती भेजी जाए।

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, समाज कल्याण विभाग की ओर से 1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला मण्डल तथा सभी आयुक्त और सभी उप मण्डल अधिकारी (सिविल)